दिनांक 11/11/22

आरोपी सचिन सहित श्री सुनील श्रीवास्तव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उक्त आरोपी की पहचान करते हुये नवीन मेमो पर उपस्थित होकर प्रकरण आज सुनवायी में लिये जाने का आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रकरण में आरोपी सचिन अपनी जमानत कराना चाहते हैं।

दर्शित कारण उचित पाये जाने से आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण आज सुनवाई में लिया जाता है।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

आरोपी सचिन बेगमगंज में निरूद्ध होकर उसकी ओर से श्री सुनील श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आरोपी सचिन की जेल से उपस्थिति एवं अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियोजन द्वारा आवेदन का मौखिक विरोध करते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अभियुक्त सचिन की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी को झूंठे अपराध में फंसाया गया है, आरोपी लगभग 3 माह से जेल में निरूद्ध है, प्रकरण के सह अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जा चुका है, आरोपी सचिन का अपराध सह अभियुक्तगण के अपराध से भिन्न नही है, अपराध मृत्युदंड या अजीवन कारावास से दंडनीय नही है, आरोपी सचिन के भागने की संभावना नही है। अतः आरोपी को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि थाना सिलवानी के अप.क्र. 272/2022 अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. आरोपी सचिन के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है जो कि अजमानतीय हैं, पंजीबद्ध अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है तथा 7 वर्ष से कम कारावास से दण्डित है। प्रकरण के साथ संलग्न परिपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी द्वारा एस.बी.आई.बैंक से पैसे निकालकर जीप में ड्रायवर सीट के नीचे बने टूल बॉक्स में रखकर रास्ते में अपनी जीप को खड़ी कर चाय पीने बैठना तथा उक्त अवधि में डिग्गी में से झोला एवं झोले में रखे सामान की चोरी कारित होना लेख किया है। झोले में आधर कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस आदि दस्तावेज होना लेख है। प्रकरण में आरोपी सचिन का मेमो कथन संलग्न है जिसमें उसने योजनाबद्ध तरीके से सहअभियुक्त सीताराम के साथ ६

ाटना कारित किया जाना बताया है। जप्ती प्रपत्र के अनुसार आरोपी सीताराम के आधिपत्य से फरियादी का एटीएम एवं अन्य दस्तावेज एवं 500/—रूपये जप्त होना दर्शित है। अभियुक्त सचिन के विरूद्ध थाना देवास में अनयत्र प्रकृति का प्रकरण भी पंजीबद्ध है। यद्यपि प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है तथा सहअभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जा चुका है, परंतु जिस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से अन्यत्र जिले से आकर सहअभियुक्त के साथ मिलकर जिस रीति से चोरी की घटना कारित किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित है उससे सुनोजित तरीके से संगठित अपराध के रूप में चोरी की घ ाटना कारित किया जाना एवं अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्पता दर्शित होती है तथा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का दर्शित होता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अन्य आरोपी सीताराम को इस प्रकरण में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय से जमानत का लाभ प्राप्त हो चुका है तथा ऐसी दशा में समानता के सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त सचिन को भी जमानत पर रिहा किया जावे। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्त सचिन का आपराधिक रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है एवं इस स्तर पर आवेदक की ओर से उसे विवादित भी नहीं किया गया है। अभियुक्त सचिन के आपराधिक रिकार्ड से प्रथम दृष्टया दर्शित है कि अभियुक्त सचिन के विरूद्ध समान प्रकृति चोरी के करीब 12 मामले एवं 5 अन्य प्रकृति के मामले भिन्न—भिन्न आरक्षी केंद्र में पंजीबद्ध है जिससे दर्शित है कि अभियुक्त के द्वारा जिस रीति से अन्यत्र जिले राजगढ़ से आकर तहसील सिलवानी में अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया दर्शित है, उसी प्रकार अन्य जिले देवास, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, खरगौन, धार, इंदौर, राजगढ़ तथा यहां तक कि अन्य राज्य हरियाणा एवं महाराष्ट्र में भी समान

प्रकृति के चोरी के अपराध में उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने से कई अपराधों में प्रथम दृष्टया संलिप्पता दर्शित होने से अभियुक्त सचिन का मामला सहअभियुक्त सीताराम से भिन्न होने से अभियुक्त सचिन को समानता का लाभ नहीं दिया जा सकता। **न्यायदृष्टांत नीरू यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 2015 एस.सी. 3730** भी अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त के पूर्व आपराधिक संलिप्पता दर्शित होने पर समानता का सिद्धांत जमानत के प्रक्रम पर लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में दिन–प्रतिदिन बढ़ती चोरी की घटना से समाज में डर व भय व्याप्त हो रहा है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध यद्यपि मृत्यु आजीवन कारावास, 7 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय नहीं है, परंतु चोरी जैसे अपराधों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुये तथा आरोपी सचिन का पूर्व आपराधिक रिकार्ड को देखते हुये अभियुक्त सचिन को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः अभियुक्त सचिन पिता भगवानसिंह सिसोदिया की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. **निरस्त** किया जाता है।

प्रकरण आरोपी सचिन की जेल से उपस्थिति एवं अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रकरण आरोपी सचिन की जेल से उपस्थिति एवं अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत दिनांक 14/11/2022 को पेश हो।

अतुल यादव
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.